APP-A
Crime-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

....

मुकदमा .... नं. .... सन् ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.3.22	
पक्षकारों पेशी/प्रकरण वादी — के द्वारा अधिनियम 2021 के अंतर्गत वाद दिनांक 2.11.21 को प्रस्तुत (उभयपक्ष कांचन) ने निवेदन किया कि हमारे पक्षकारों का आवेदन, TSR की रिपोर्ट, हमारी आपसी सहमति के आधार पर वाद स्वीकार किया जाकर राजीनामा डिक्री किया जावे। अतः उभयपक्ष कांचन के निवेदन पर, पक्षकारों पर और पूरे रिकॉर्ड के आधार पर, TSR की रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर वाद रजिस्टर शामिल मिसल किया जावे। पक्षकारों निर्णय सुनाया गया वाद जाकर दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO), खींवसर	

उनके वारिस के बारे में उपस्थित ने बताया कि श्री रामगोपाल ना औलाद फौत हुए है। इश्तदुआ मे किशनलाल के स्थान पर विसनलाल का नाम सशोधन पर हमें आपति नहीं है। मौका पर्चा मौके पर तैयार किया। उपस्थित को पढकर मजमेआम में सुनाया एवं उपस्थित ने पढकर हस्ताक्षर किए एवं अन्य के अंगूठा निशानात लिए।

वादी एवं प्रतिवादीगण को प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 दिनांक 02.11.2021 केम्प कोर्ट करणू में मजमेआम सुना गया तथा वादीगण के वाद की इश्तदुआ के सबंध में दौराने केम्प उपस्थित मोतबरान से मजमेआम पूछताछ की गई तो उपस्थित मोतबरान ने इश्तदुआ एवं तहसीलदार खींवसर की जबाब/रिपोर्ट के संबंध में अपनी सहमति जाहिर की और इसे सही होना बताया।

विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण बहस समायत की गई। विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार करने निवेदन किया की वादी के वाद की इश्तदुआ अनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण बहस के तत्पश्चात पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से जाहिर होता है की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 वादग्रस्त आराजी के रिकोर्डेड खातेदार है तथा प्रतिवादी संख्या 05 ला औलाद फोत हो चुका है जो दौराने केम्प कोर्ट करणू एवं तहसीलदार खींवसर की रिपोर्ट दिनांक 02.11.2021 से ताईद होता है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं 6 से 9 वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवाड़ा चाहाते है और इसमें सभी ने अपनी सहमति दी है। रिकार्डेड खातेदार को अपनी पुश्तैनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवाड़ा करवाने का अधिकार है उक्त बंटवाड़ा करने पर कोई कानूनी बाधा प्रतीत नहीं होती हैं।

इश्तदुआ संख्या 02 को तहसीलदार खींवसर की जबाब/रिपोर्ट दिनांक 02.11.2021 के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद वाद अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 ता 9 के इकबालिया जबाब दावा, प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 केम्प कोर्ट करणू दिनांक 02.11.2021 को मजमेआम पूछताछ एवं इनके द्वारा सहमति प्रकट करने, उभयपक्षकारान की बहस के आधार, तहसीलदार खींवसर की जबाब/रिपोर्ट दिनांक 02.11.2021 एवं पत्रावली पर मौजुद रेकर्ड एवं वादी के वाद अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि :-

<u>आदेश</u>

अतः मौजा करणू के खेत खसरा नबंर 1154 रकबा 78 बीघा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 1/2 कब्जा काश्त, बंट व हक हिस्सा में एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के कब्जा काश्त बंट व हिस्सा में शेष 1/2 हिस्सा घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के पिता नलाल के स्थान पर विशनलाल सही नाम दर्ज करने व प्रतिवादी संख्या 7 रामलाल के स्थान रामेश्वरलाल सही नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाने के आदेश दिये जाते है। तथा इस य का डिक्री पर्चा स्टाम्प डयूटी पेश के पश्चात जारी हो। और तहसीलदार खींवसर को इसकी ना हेतु लिखा जावे।

कारान खर्चा अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

जीतू कुमारी RAS
(सहायक कलेक्टर)
खींवसर

यह निर्णय आज दिनांक 14.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
खींवसर (नागौर)